बाल श्रमिकों का शोषण

1724. **श्रीमती पालती शर्मा:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाल श्रमिकों को बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाल श्रमिकों के उत्थान तथा नियोजकों द्वारा उनके शोषण को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) बाल श्रम के बारे में प्रामाणिक आंकड़े दस वर्षीय जनगणना के दौरान बनाए जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बच्चों की संख्या 13.6 मिलियन थी। 1987-88 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर में, बाल श्रम के आंकड़े 17.02 मिलियन आंके गये हैं। हालांकि 123 जिलों में सर्वेक्षण कराने के लिए निधियां निर्गत की गई है, लेकिन पूरे देश में बाल श्रम की संख्या आंकने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल संबंधी आंकड़े अभी तक जारी नहीं किये गये हैं।

(ग) से (ङ) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का अनुसूची के भाग (क) और (ख) में सूचीबद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। बच्चों का नियोजन करते हुए पाए जाने वाले नियोजकों पर अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है। कामकाजी बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए अन्य श्रम कानूनों के भी प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के विद्यमान उपबंधों में वयस्कों, किशोरों और प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण अथवा संशोधन की व्यवस्था है।

सरकार बाल श्रम के संबंधित सभी कानूनों को सौहार्दपूर्ण ढंग से लागू करने का प्रयास करती रही है।

अधिनियमों को लागू करने के अलावा सरकार ने जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों के पुनर्वासन के लिए प्रमुख कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 1.5 लाख बच्चों को परिधि में लेने के लिए 76 बाल श्रम परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

गुजरात में कुशल कर्मकारो के लिए रोजगार के अवसर

1725. **श्रीमती आनन्दी ज० पटेल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में ऐसे कितने बेरोजगार व्यक्ति है जो विभिन्न प्रकार के कार्य क्षमता रखते हैं;

(ख) सरकार इन्हे रोजगार दिलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है; और

(घ) इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या की कौशल वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस शताब्दी के अंत तक रोजगार के पर्याप्त अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि रोजगार आश्वासन योजना को सार्वभौमिक बनाया जाएगा तथा देश के सभी ब्लाकों को शामिल करके वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में विस्तारित किया जायेगा। सरकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षित, अशिक्षित, कुशल एवं अकुशलों को शामिल करके सभी के लिए रोजगार का सृजन करना है। शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अनुपूरक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आई०आर०डी० पी०, जे आर वाई / इ ए एस तथा शहरी क्षेत्रों में एन०आर०वाई०, पी०एम०आई०यू०ई०पी० तथा यू०वी०एस०पी० तथा विशेषतया ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए पी०एम०आर०वाई० शामिल है, विशेष रोजगार कार्यक्रम चल रहे है। राज्य सरकारें भी अपनी राज्य योजनाओं के अंतर्गत रोजगार नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में व्यस्त है।